भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना सं. 17/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 4 जुलाई, 2022

विषयः आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 07 के एक्जिम कोड 07019000 के अंतर्गत मद हेतु आयात नीतिगत शर्तों में संशोधन।

सा.आ. (अ) समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 और धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 07 के अंतर्गत मद की नीतिगत शर्तों में निम्नानुसार संशोधन करती है–

आईटीसी (एचएस) कोड	विवरण	आयात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
07019000	आलू , ताज़ा अथवा प्रशीतितः अन्य	प्रतिबंधित	भूटान से आलू का आयात दिनांक 30 जून, 2022 तक बिना किसी लाइसेंस के मुक्त रूप से अनुमत है	भूटान से आलू का आयात दिनांक 30 जून, 2023 तक बिना किसी लाइसेंस के मुक्त रूप से अनुमत है।

2. अधिसूचना का प्रभावः भूटान से दिनांक 30 जून, 2023 तक आईटीसी (एचएस) कोड 07019000 के अंतर्गत आलू का आयात बिना किसी लाइसेंस के अनुमत किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संतोष कुमार सारंगी
1.7.2022

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेलः dgft@nic.in

(फा.सं. 01/89/180/02/एएम–17/पीसी–2(ए)/ई–3200 से जारी)